

10/4/26

पत्रां पेश हुं। प्रार्थी वकील उपर। अप्राधीनता
की तन्वी हेतु मौखिक याद दायता पूर्व
में अनेक अवसर दिये जा चुके
हैं, अन्य अवसर दिया जाना
अचित्त नहीं है। अतः प्रां पत्र 09R5 के
तहत इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रां फिसल श्रुमार लेकर
दाखिल दफ्तर हो।